कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 28/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री बजरंग मेघवाल पुत्र श्री लीलूराम, आर.टी.आई. एवं सामाजिक कार्यकर्ता वी.पी.ओ. झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

----अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

----प्रत्यार्थी

आदेश   दिनांक—15.06.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से सूचना मांगी गई। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा सूचना नही दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से पत्रांक 2665 दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्राप्त जबाव के अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को यह सूचना दी गई है कि मासिक सारांश उपलब्ध करवाये जा सकते है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पत्र कमांक 1997 दिनांक 19.04.2018 से अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध मे सूचित किया गया जिसकी प्रति उक्त पत्र 2665 दिनांक 13.06.2018 के साथ संलग्न होना पाई गई है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी को मासिक सारांश नियमानुसार उपलब्ध करवाये जावे। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official